मै0 श्री हेम चन्द्र उप्रेती पुत्र श्री बिन्देश्वरी प्रसाद उप्रेती द्वारा ग्राम–चौड़ास्थल व चौड़ागांव तहसील–कपकोट जिला–बागेश्वर में चौड़ास्थल व चौड़ागांव सोप स्टोन माईनिंग के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 16.12.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 श्री हेम चन्द्र उप्रेती पुत्र श्री बिन्देश्वरी प्रसाद उप्रेती द्वारा ग्राम–चौड़ास्थल व चौड़ागांव तहसील–कपकोट जिला–बागेश्वर उत्तराखण्ड के सोप स्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल 85.0 है0) हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित के अंतर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण (उत्तराखण्ड संस्करण) एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया (दिल्ली संस्करण) में दिनांक 15.11.2024 के अंकों में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त के क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून को प्राप्त कराई गयी तथा दिनांक 16.12.2024 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी। तदक्रम में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक दिनांक 15.12. 2024 द्वारा दिनांक 16.12.2024 को मा0 मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखण्ड़ सरकार का जनपद में भ्रमण होने के कारण उक्त परियोजना के संबंध में लोकसुनवाई सम्पन्न कराने हेतु महाप्रंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर को नामित किया गया है। महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 16.12.2024 को पूर्वान्ह् लगभग 11:00 बजे निकट परियोजना स्थल तहसील व जनपद बागेश्वर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई में उपस्थिति संलग्नानुसार है।

सर्वप्रथम श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, श्री चन्द्र मोहन रावत तथा उपस्थित क्षेत्रीय जनता का लोक सुनवाई में स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था कॉग्निजेंस रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के श्री अखिल कुमार द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना ईआईए अधिसूचना के तहत दिये गये टीओआर के अनुसार तैयार की गयी है। प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग परियोजना से 83 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तथा उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

में सुधार एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। प्रस्तावित परियोजना में खनन हेतु 02 पिटों का प्राविधान किया गया है। प्रस्तावित परियोजना में 05 वर्षो में कुल 190808 (टन) सोपस्टोन की मात्रा निकाली जायेगी। 01 मार्च 2024 से 31 मई 2024 तक 08 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी की गयी तथा प्राप्त परिणामों के अनुसार वायु की गुणवत्ता आवासीय ग्रामीण और अन्य क्षेत्रों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है। खनन क्षेत्रान्तर्गत 04 स्थानों पर शोर की दिन और रात में निगरानी के समय शोर का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर ही पाये गये। प्रस्तावित खनन क्षेत्रान्तर्गत 03 भूजल नमूनों और 02 सतही पानी के नमूनों का विश्लेषण किया गया और निष्कर्ष निकाला गया कि सभी स्त्रोतों से भूजल पाने के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त रहता है क्योंकि सभी घटक भारतीय मानक द्वारा प्रख्यापित पेयजल मानकों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं। सतही जल विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नमूनों के अधिकांश मापदण्डों का सी0पी0सी0बी0 श्रेणी बी का अनुपालन करते है। प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्रान्तर्गत की मिट्‌टी के नमूनों की जांच कर विश्लेषण से पता चला कि मिट्‌टी रेतीली प्रकार की है और पी0एच0 मान से पता चलता है कि मिट्‌टी की प्रकृति क्षारीय है। खनन क्षेत्र के आस–पास जो भी निवास स्थान मौजूद है उनके मानको का अनुपालन करते हुये 50 मीटर की दूरी छोड़ कर खनन कार्य किया जायेगा। खनन गतिविधियों का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित खदान स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान करेगी और खनन से आवासीय भवनों को किसी प्रकार नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पट्‌टाधारक द्वारा की जायेगी। खनन सामग्री के परिवहन किये जाने हेतु मात्र पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। खनन कार्य करते समय शोर स्तर की तुलना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एण्ड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा निर्धारित मानकों के साथ की जायेगी। जिसे सरकार द्वारा अपनाया और लागू किया गया है। खनन गतिविधियों में नियोजित स्थानीय लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार होगा। खनन क्षेत्रान्तर्गत पेड़ों की कटाई नहीं होगी। सोपस्टोन के खनन से पानी की गुणवत्ता और मापदण्डों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, चूंकि खनन भूजल स्तर के साथ अवरोधन नहीं करता है। परियोजना में किसी धारा को मोड़ने या काट–छाँट करने का प्रस्ताव नहीं है। परियोजना से सतही जल विज्ञान और भूजल व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानसून के समय खदान में एकत्रित पानी को पम्प की मदद से निकाला जाएगा और टैंकरों की मदद से पास के जल निकाय में डाला जाएगा। इस प्रकार खनन कार्य से नदी के पानी, भूजल तथा अन्य किसी भी निकटतम जलाशय के पानी को काई क्षति नहीं होगी। परियोजना के माध्यम 05 वर्षो में कुल 10000 स्थानीय प्रजाति के पेड़ खनन क्षेत्र के आस–पास व कनेक्टिंग सड़कों पर लगाया जायेगा। परियोजना की कुल प्रस्तावित सीईआर लागत रू0– 4.50 (लाख में) है जिससे राजकीय इण्टर कॉलेज चौड़ा की लैब में सुधार अथवा स्थानीय ग्रामीणों से प्राप्त सुझाव के आधार पर कार्य किया जायेगा। पर्यावरण प्रबंधन योजना में पूंजी लागत धनराशि रू0– 8.75 (लाख में) व आवर्ती लागत धनराशि रू0– 7.00 (लाख में) प्रस्तावित की गयी है। मानसून से पूर्व खनन क्षेत्रान्तर्गत के गढढों में अपषिश्ट पदार्थ से भरकर समतलीकरण किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबन्धन के प्रभावी कार्यान्वयन होने की दशा में खनन क्षेत्र में जीव जन्तुओं और वनस्पतियों पर

नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। खनन गतिविधियों के शुरू होने के बाद नागरिक सुविधाओं पर प्रभाव पर्याप्त होगा। चिकित्सा सुविधाएं खदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में प्रदान की जाएगी। आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी ये चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परियोजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव, आपत्तियां एवं टीका–टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया। उपस्थित टीका टिप्पणी, विचार तथा सुझाव का विवरण निम्नवत है:–

1. श्री भगवत सिंह देवली ग्राम–चौड़ास्थल तहसील–कपकोट जिला–बागेश्वर– श्री भगवत सिंह द्वारा कहा गया कि हम प्रस्तावित खनन परियोजना के पक्ष में नहीं है। खडिया खनन के नाम से जो क्षेत्र में घाव लगायेगा उसका निर्णय स्थानीय देवता ही करेगा। खनन परियोजना हेतु कोई भी ग्रामवासी अपनी जमीन देने के पक्ष में नहीं है। ग्राम–चौड़ास्थल पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लोकसुनवाई के आयोजन हेतु गॉव वालों को अवगत नहीं कराया गया है। गांव के लोग खडिया खनन के पक्ष में नहीं है।

2. श्री गिरीश चन्द्र ग्राम–पेठी चौड़ा तहसील–कपकोट जिला–बागेश्वर–श्री गिरीश चन्द्र द्वारा कहा गया कि क्षेत्र की खडिया मॉ को समर्पित है। खडिया गॉव से बाहर नहीं जायेगी, हम प्रस्तावित खनन परियोजना के पक्ष में नहीं है।

3. श्री सागर उप्रेती प्रतिनिधि पट्टाधारक –श्री सागर उप्रेती द्वारा बताया गया कि खडिया खनन से गॉव के विकास कार्य होगे तथा स्थानीय लोगों को चिकित्सा सुविधायें व रोजगार के अवसर भी प्राप्त होगे। स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी, जिससे गॉव वालों की पलायन की समस्यायें कम होगी तथा जीवन स्तर में सुधार होगा। खनन कार्य गॉव वालों के सहयोग से किया जायेगा।

तद्क्रम में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपस्थित सम्भ्रान्त जनता से परियोजना के संबंध में पुनः अपने विचार/सुझाव रखने का आग्रह किया गया। अन्य सुझाव/टिप्पणियॉ प्राप्त न होने पर परियोजना प्रस्तावक एवं उपस्थित सभी कार्मिकों एवं क्षेत्रवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति पंजिका में दर्ज की गयी है।

संलग्नक–यथोपरि–

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी
उ0प्र0नि0 बोर्ड, हल्द्वानी।

(चन्द्र मोहन रावत)
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र
बागेश्वर।

श्री हेमचन्द्र उप्रेती, द्वारा ग्राम- चौड़ास्थल व चौड़ागांव, तहसील-कपकोट जिला- बागेश्वर में चौड़ास्थल व चौड़ागांव सोप-स्टोन माइनिंग (क्षे- 8.50) है० की हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण:-

सुनवाई स्थल:- चौड़ास्थल, बागेश्वर
समय एवं तिथि:- दिनांक 16 दिसम्बर 2024

क्र/सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	चन्द्रमोहन रावत	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर	[illegible]
2.	हरीश चन्द्र जोशी	सहा० वैज्ञा० अधिकारी उ०प्र० नि०बोर्ड, हल्द्वानी	[illegible]
3.	अखिल कुमार	पर्यावरण सलाहकार	[illegible]
4.	चन्द्रवल्लभ जोशी	अनु० सहा० (उत्तरा० नि०बोर्ड)	[illegible]
5.	Rani Upreti	Haldwani	Rupreti
6.	Sagar Upreti	Haldwani	Sagarupreti
7.	Surendar	Kapkote	[illegible]
8.	M.C. Upadhyay	Haldwani	[illegible]
9.	खुवेरा -	Bageshwar	[illegible]
10.	Yogesh Singh	Bageshwar	[illegible]
11.	Bheejeet Si	Pethi	[illegible]
12.	रमेश सिंह	बागेश्वर	[illegible]
13.	Suresh Singh	Bageshwar	[illegible]
14.	Digpal Singh	Bageshwar	[illegible]
16.	Ramesh	Bageshwar	[illegible]
16.	मोहनसिंह	लोहार	मोहनसिंह
17.	Mohan Giri	Chaudar Sthal	[illegible]
18.	Bharat G	चौड़ास्थल	[illegible]
19.	Shivraj	Kapkote	[illegible]
20.	राजू	चौड़ास्थल	राजू
21.			
22.			
23			

लोक सुनवाई
खनन परियोजना- मै0 श्री हेम चन्द्र उप्रेती
ग्राम- चौडास्थल व चौड़ागांव, तहसील- कपकोट, जिला- बागेश्वर, उत्तराखण्ड
सोप स्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल- 85.00 है.)
सुनवाई स्थल- चौड़ास्थल, बागेश्वर
समय एवं तिथि- दिनांक 16 दिसम्बर 2024, प्रातः 11 बजे
र्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजकः- क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
आवास विकास कॉलोनी - हल्द्वानी (नैनीताल) 263139
परियोजना प्रस्तावक- श्री हेम चन्द्र उप्रेती, पर्यावरण सलाहकार- मैसर्स कॉग्नीजैन्स रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड

लोक सुनवाई
खनन परियोजना- मै0 श्री हेम चन्द्र उप्रेती
ग्राम- चौडास्थल व चौड़ागांव, तहसील- कपकोट, जिला- बागेश्वर, उत्तराखण्ड
सोप स्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल- 85.00 है.)
सुनवाई स्थल- चौड़ास्थल, बागेश्वर
समय एवं तिथि- दिनांक 16 दिसम्बर 2024, प्रातः 11 बजे
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजकः- क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
आवास विकास कॉलोनी - हल्द्वानी (नैनीताल) 263139

लोक सुनवाई
खनन परियोजना- मै0 श्री हेम चन्द्र उप्रेती
ग्राम- चौडास्थल व चौड़ागांव, तहसील- कपकोट, जिला- बागेश्वर, उत्तराखण्ड
सोप स्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल- 85.00 है.)
सुनवाई स्थल- चौड़ास्थल, बागेश्वर
समय एवं तिथि- दिनांक 16 दिसम्बर 2024, प्रातः 11 बजे
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजकः- क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
आवास विकास कॉलोनी - हल्द्वानी (नैनीताल) 263139